फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री हरदेवसिंह पिता जीवनसिंह रावत, निवासी हाल बस्टे के पास, भीम, तह0 भीम जिला–राजसमन्द
–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम

–प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 37/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.10.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम द्वारा जरिये क्रमांकः भू.अ./सू.अ./2019/1472 दिनांक 27.09.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 7 की सूचना जो इस कार्यालय में उपलब्ध होने से कुल पृष्ठ 58 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सू.अ./2019/120 दिनांक 17.07.2019 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर दी गयी थी। साथ ही बिन्दु संख्या 1, 4 व 8 की सूचना अन्य लोक प्राधिकरणो के पास होने से आवेदक को सलाह दी गयी कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह सम्बन्धित लोक प्राधिकरणो को अलग–अलग आवेदन करे। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2, 3, 5 व 6 द्वारा मांगी गयी सूचना इस कार्यालय मे विधमान नही होने से दिया जाना सम्भव नही था। भारत सरकार के कर्यालय ज्ञापन क्रमांक 10/2/2008 आई. आर. दिनांक 24 सितम्बर 2010 के द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि "अधिनियम के अन्तर्गत वही सूचना देना अपेक्षित है जो पहले से विधमान हो। तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षैत्र से बाहर है"। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने बाबत इस कार्यालय स्तर से समय पर कार्यवाही की गयी है अपीलार्थी को इस कर्यालय में उपलब्ध	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

बिन्दु स. 7 की सूचना जरिये रजिस्टर्ड निशुल्क उपलब्ध करायी जा चुकी है बिन्दु स. 1, 4 व 8 अन्य लोक प्राधिकरणो के पास होने एवं बिन्दु स. 2, 3, 5 व 6 द्वारा मांगी गयी सूचना इस कर्यालय में पहले से विधमान नही होने एवं सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षैत्र से बाहर होने से भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 10.02.2018 आइ.आर. दिनांक 24 सितंम्बर 2010 की अनुपालना में प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये पत्रांक/सू.अ. /2019/120 दिनांक 17.07.2019 द्वारा सूचित कर दिया गया था।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)